1.12.17 वादी श्री रूपाराम पुत्र विक्रमाराम द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली कोर्ट एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी रावाराम, पुनाराम, केशाराम पि० विक्रमाराम द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर प्रार्थना-पत्र बाबत वाद जरिये राजीनामा डिक्री करने हेतु पेश किया गया जिसे शा० मि० किया। प्रार्थना-पत्र राजीनामा में कथन किया है, कि सरहद मौजा गुडा इन्द्रपुरा तहसील आहोर के खसरा नम्बर 347, 399, 435, 436, 437, 670/435, 672/436, 674/437, 671/435, 673/436, 675/437, 676/437 में 600 हि० लि० की भूमि को लेकर वादी द्वारा दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act का पेश किया है, जो विचाराधीन है। हम पक्षकारों के बीच में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा के जरिये दावा डिक्री करवाना चाहते हैं। खसरा नम्बर 399 की आराजी वादी रूपाराम को खातेदार घोषित किया जावे तथा ख० नं० 347 की आराजी प्रतिवादी रावाराम, केशाराम, पुनाराम को खातेदार घोषित किया जावें। शेष खसरा नम्बर 435, 436, 437 के बटा नम्बर की आराजी [illegible]

पत्र नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा पेश है। अतः जरिये राजीनामा दावा डिक्री फरमावे। राजीनामा पर अंकित पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया जाकर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। और कोई नई बात नही कही।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण। से 3 सगे भाई है तथा लिखमाराम के पुत्र भी है। वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण पैतृक पुश्तैनी होने से चारो पुत्रो का समान रूप से हक हिस्सा बनता है। पक्षकारान् द्वारा सम्पूर्ण आराजी में से 1/4 हिस्सा के बदले में पृथक से खसरा नम्बर 399 रकबा 1.46 है० वादी ने लेना व प्रतिवादीगण ने देना स्वीकार किया है। जिसके आधार पर दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा गुड़ा इन्द्रपुरा तहसील आहोर के खसरा नम्बर 399 रकबा 1.46 हैक्टर का वादी रूपाराम पुत्र लिखमाराम जाति मारू कुम्हार निवासी गुड़ा इन्द्रपुरा को खातेदार घोषित किया जाता है। एवं ख० नं० 347 में से वादी रूपाराम का नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादी राणाराम, पुनाराम, केशाराम पि० लिखमाराम को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार आहोर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

लिखित [illegible]